भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 796
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

एकीकृत न्यायिक परिसर के लिए प्रस्ताव

796. श्री अनिल फिरोजिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) सरकार द्वारा न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करने और उनकी कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सुविधाजनक और त्वरित न्याय के लिए एकीकृत न्यायिक परिसर का निर्माण करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : देश में नए न्यायालयों की स्थापना, न्यायालयों की संख्या में वृद्धि और एकीकृत न्यायिक परिसरों की स्थापना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो अपनी अपेक्षा और संसाधनों के अनुसार, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ऐसी न्यायालय स्थापित करती हैं। तथापि, केंद्रीय सरकार न्यायालयों की दक्षता में सुधार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए उसने कई पहल की हैं। न्याय विभाग द्वारा न्याय प्रदान करने में सहायता के लिए की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:-

i. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, भारत सरकार न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों की पूर्ति करती है। यह वादियों सहित विभिन्न हितधारकों की सुविधा के लिए है, जिससे न्याय प्रदान करने में सहायता मिलती है। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से अब तक 11,583 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं । परिणामस्वरूप, न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर आज की तारीख में 23,590 हो गई है।

ii. राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, ई-न्यायालय परियोजना भारतीय न्यायपालिका की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षमता के लिए एक एकीकृत मिशन मोड परियोजना है, जो "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" पर आधारित है। इसे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में

सुधार लाने के उद्देश्य से शुभारंभ किया गया था। इस स्कीम के अधीन 2023 तक 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) परियोजना के भाग के रूप में, पूरे भारत में 99.5% कुल न्यायालय परिसरों को संयोजकता प्रदान की गई है। ई-न्यायालय परियोजना की विभिन्न पहलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, भारत के 9 उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए वर्चुअल न्यायालय, 7 प्लेटफार्म के माध्यम से नागरिक सेवा, निर्णय के लिए जस्ट आईएस एप, ई-फाईलिंग, ई-पेमेंट, ई-सेवा केंद्र, निर्णय और आदेश खोज पोर्टल, राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) और न्याय घड़ी भी है ।

सरकार ने 2015 से बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि करके उन्नत डिजिटल अवसंरचना के साथ न्यायपालिका के आधुनिकीकरण में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। दूसरे चरण के लिए 1670 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई, जो पहले चरण के दौरान वितरित 639 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, तीसरे चरण (2023-2027) को सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर मंजूरी दी गई है, जो दूसरे चरण के लिए आवंटित राशि से चार गुना अधिक है।

सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को शासन के साथ एकीकृत करने के प्रयासों को ई-न्यायालय चरण-3 में एक गेम चेंजर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विभिन्न नई डिजिटल पहलों की परिकल्पना की गई है, जैसे कि डिजिटल और पेपरलेस न्यायालय की स्थापना जिसका उद्देश्य न्यायालय कार्यवाही को डिजिटल प्रारूप में लाना और न्यायालय अभिलेख (विरासत अभिलेख और लंबित मामले दोनों) का डिजिटलीकरण करना है। परिणामस्वरुप, सितंबर 2024 तक उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायालय अभिलेख के 391.15 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों, जेलों और अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का विस्तार, यातायात उल्लंघनों के निपटारे से परे ऑनलाइन न्यायालयों का दायरा बढ़ाना, सभी न्यायालय परिसरों को ई-सेवा से संतृप्त करना केंद्र, डिजिटल न्यायालय अभिलेख, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आदि को आसानी से प्राप्त करने और उनका समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक और नवीनतम क्लाउड आधारित डेटा रिपोजिटरी, लंबित मामलों के विश्लेषण, भविष्य के मुकदमों का पूर्वानुमान लगाने आदि के लिए कृत्रिम आसूचना जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (ओसीआर) आदि जैसे इसके उप-समूहों का उपयोग कुशल न्यायालय प्रबंधन की दिशा में अन्य पहलें हैं।

iii. सरकार उच्च न्यायपालिका में रिक्त पदों को भी नियमित रूप से भर रही है। 01.05.2014 से 21.11.2024 तक उच्चतम न्यायालय में 64 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्च न्यायालयों में 999 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई तथा 767 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर आज तक 1122 कर दी गई है।

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या में भी निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्नानुसार*	स्वीकृत पद्संख्या	कार्यरत पद्संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
31.10.2024	25,725	20,487

* अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के

अधिकार क्षेत्र में आता है।

iv. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से जुड़े मामलो को देखने के लिए जघन्य अपराधों के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है । केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएस) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.10.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 408 विशेष पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 750 एफटीएस कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट-ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की रीति को भी पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में 20 अगस्त, 2018 को संशोधन किया गया, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। मध्यकता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करके मध्यकता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाई गई है। मध्यकता अधिनियम, 2023 ने एडीआर को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में भी उपयुक्त बदलाव किए हैं। उक्त मध्यकता अधिनियम के अनुसार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें तत्काल राहत की संभावना न हो, उसे वादी द्वारा मुकदमे-पूर्व मध्यकता के उपाय को समाप्त करने से पहले न्यायालय में नहीं लाया जाएगा, जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित या किसी भी मध्यकता अधिनियम, 2023 के अधीन 'मध्यकता सेवा प्रदाता' द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, धारा 12-क के अधीन प्राप्त किसी भी मध्यकता से किए गए समझौते को उसी तरह लागू किया जाएगा, जैसे कि वह न्यायालय द्वारा पारित कोई निर्णय या डिक्री हो। यदि पूर्व-संस्था मध्यकता और समझौता विफल हो जाता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाया जाता है।

vi. लोक अदालत नागरिकों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ विधि न्यायालय में या मुकदमेबाजी से पहले के चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय का आदेश माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती । न्यायालय कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक न्यायालय कोई स्थायी संस्था नहीं है। सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व निर्धारित तारीख पर न्यायालय आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय लोक न्यायालय में निपटाए गए मामलों का विवरण पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालय निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	पूर्व मुकदमेबाजी	लंबित मामले	कुल मामले
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (09.11.24 तक)	6,46,35,285	1,26,34,580	7,72,69,865
कुल	**17,38,89,774**	**4,34,36,355**	**21,73,26,129**

vii. विधि और न्याय मंत्रालय एक एकीकृत अखिल भारतीय केंद्रीय क्षेत्र स्कीम लागू कर रहा है जिसका नाम है 'भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना' (दिशा) जिसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच के लिए व्यापक, एकीकृत, प्रौद्योगिकी आधारित नागरिक केंद्रित समाधान प्रदान करना है। इस स्कीम के अधीन टेली-लॉ, न्याय जैसे विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में बंधु, और विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता को मुख्यधारा में लाया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 14, 21 और 39क के अधीन भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिदेश को पूरक और संपूरित करना है। दिशा का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 16 के कार्यान्वयन को गति देकर विधिक सेवा अधिनियम, 1987 की कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना भी है, विशेष रूप से सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करने का पहलू। इस पहल के एक भाग के रूप में, सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जिसने ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधि सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान किया।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

अक्तूबर,2024 तक	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार ब्रेक अप**	**सलाह सक्षम**	**% वार ब्रेक अप**
लिंग के अनुसार				
महिला	4014611	39.12	3963499	39.06
पुरुष	6247980	60.88	6183286	60.94
जाति श्रेणीवार				
सामान्य	2387060	23.26	2352649	23.19
अन्य पिछड़ा वर्ग	3252495	31.69	3213067	31.67
अनुसूचित जाति	3246025	31.63	3215657	31.68
अनुसूचित जनजाति	1377011	13.42	1366312	13.47
कुल	**10262591**		**10146785**	

viii. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां प्रो बोनो कार्य के लिए स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने वाले अधिवक्ता न्याय पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं। बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स)। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। उभरते वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

*****